वि(…)

(59)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 विविध /2019/पन्ना/भू–रा0

विविध-0850/2019/पन्ना/भू.रा.

रामस्वरूप बड़ेरिया तनय मोहनलाल बड़ेरिया निवासी ग्राम अमानगंज तहसील अमानगंज जिला पन्ना, म0प्र0 ——आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ——अनावेदक

श्री/श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, एडवोकेट ग्वालियर
द्वारा आज दि॰ 31-7-19
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 7-8-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वा॰ 31-7-19
7/8/19

भूल सुधार वावत् आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959

श्रीमान् महोदय,

1– यह कि, श्रीमान् न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 2762/तीन/2014 में दिनांक 24/07/2015 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से आदेश के पृश्ठ कमांक 1 के ऊपर से पैराग्राफ 2 में लाइन नं0 2 में ग्राम पिपरवाह के स्थान पर ग्राम अमानगंज टंकित हो गया है।

2– यह कि, उक्त आदेश के ही पृश्ठ कमांक 2 के पैराग्राफ 4 में लाइन नं0 4 में भूलवश टंकण की त्रुटि से ही ग्राम पिपरवाह के स्थान पर ग्राम अमानगंज टंकित हो गया है।

अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के पृश्ठ कमांक 1 के पैराग्राफ 2 में ऊपर से लाइन नं0 2 में ग्राम अमानगंज के स्थान पर ग्राम पिपरवाह एवं उक्त आदेश के ही पृश्ठ कमांक 2 के पैराग्राफ 4 में लाइन नं0 4 में ग्राम अमानगंज के स्थान पर ग्राम पिपरवाह करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक :–22.07.2019

स्थान :– ग्वालियर

आवेदक
रामस्वरूप बड़ेरिया
द्वारा अभिभाषक
रजनी वशिष्ठ शर्मा
एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 0850 / 2019 / पन्ना / भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07–8–2019	आवेदक अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ट शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर तर्क किया कि टंकण त्रुटि से निगरानी प्रकरण कमांक 2762 / तीन / 2014 में पारित आदेश दिनांक 24–7–2015 के प्रथम पृष्ठ के पैरा 2 की पंक्ति कमांक 2 में ग्राम पिपरवाह के स्थान पर ग्राम अमानगंज टंकितं हो गया है उसमें सुधार किया जाये। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरात आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये हैं कि मूल निगरानी प्रकरण कमांक 2762 / तीन / 2014 में पारित आदेश दिनांक 24–7–2015 के पृष्ठ 1 पैरा 2 में पंक्ति कमांक 2 में ग्राम अमानगंज के स्थान पर ग्राम पिपरवाह पढ़ा जाये। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। (जे0के0 जैन) सदस्य	